FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

पेशी 05/06/2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अदालत........................मुकाम........................

रा. छोटूदास ....बनाम........ प्रदीप वगैरा

मुकदमा........ रा. आवेदन 111,128 ... 81/2020 ....नं........सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/5/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री छोटूदास मिश्रा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03/06/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
03/06/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जिला बाहर के व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 05/06/2020 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:32:41 IST
Reason: SelfAttested

05/06/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण

लावजुद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लगे हुए आये हुए है प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच जो पुरानी मेड व डोले कायम हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिगड़ गये है। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेतो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नियम स्थापित करवाना आवश्यक है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर नियमबन्दी कार्यवाही किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नियमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू. अभिलेख निरिक्षक से से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नियमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:32:41 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा०का०वि० प्र०-81/20 भगवान-रणछोड़दास V/s प्रदीप कोरा	
5/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली तलब कर तहसीलदार बायतु से प्राप्त पालना रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में दर्शाये गये बिन्दु संख्या - A से E तक को पुख्ता किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज तलब की गई तहसीलदार बायतु से पालना रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर तहसीलदार बायतु से प्राप्त पालना रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में ख० नं०-171/52 रकबा-0.8090 हैक्टर के चारों तरफ स्थापित मेखम संख्या- A,B,C,D व E को पुख्ता किया जाता है। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:32:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

आवेदन / 2020 / 346 दिनांकः– 05/06/2020

स्व आवेदन संख्या – 81 / 20

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री रणछोड़दास पुत्र बस्तीराम
जाति–जाट, निवासी–दर्जियों
की ढाणी, माधासर,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री प्रदीप पुत्र सिमरथाराम वगैरा 29

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा दर्जियों की ढाणी पटवार हल्का माधासर के खेत खसरा नम्बर 171 / 52 रकबा 0.8090 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 347–51 दिनांकः– 05/06/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रणछोड़दास पुत्र बस्तीराम।
4. विप्रार्थीगण श्री प्रदीप पुत्र सिमरथाराम वगैरा 29।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 19:32:41 IST
Reason: SelfAttested